पुलिस आदेश संख्या 284 /2002

मासिक अपराध समीक्षा को तैयार करते समय इसमें सुधार करने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान आकृष्ट करने की जरूरत है:-

(क) जिलों के अपराध समीक्षा में अपराध बढ़ने/घटने के प्रतिशत मात्र/का उल्लेख रहता है लेकिन उसमें अपराध बढ़ने/घटने के कारण का उल्लेख नही रहता है।

(ख) अपराध प्रवृति का विश्लेषण नहीं होने के कारण अपराध में कमी वृद्धि आंकड़ा मात्र हो रह जाता है, और अपराध के रोक थाम के अभियान में तीव्रता नहीं आ पाती है।

(ग) मासिक अपराध समीक्षा में जिला में विद्यमान अपराध स्थिति की विस्तृत समीक्षा नही रहता है। अपराध अनुसंधान विभाग के पास सम्पूर्ण राज्य का आंकड़ा संधारित है और उसे स्थिति का विस्तृत समीक्षा करना चाहिए।

(घ) सम्पत्ति से संबंधित आपराधिक मामलों में जो गिरोह सम्मिलित रहते हैं, उसकी पहचान नहीं रहता है।

(च) अन्तर जिला और अन्तर राज्यीय अपराधकर्मियों के गिरोह के संदर्भ में कोई टिप्पणी नहीं रहता है।

(छ) मासिक अपराध समीक्षा एक नियमित दस्तावेज बन गया है, जिसमें एक ही तरह की भाषा का प्रयोग किया जाता है, जबकि उसे राज्य में व्याप्त अपराध स्थिति का जानकारी देने वाला दस्तावेज होना चाहिए।

(ज) महत्वपूर्ण कांडों का सारांश सिर्फ प्रथम सूचना प्रतिवेदन का निचोड़ होता है। इसमें यह उल्लेख नही रहता है कि अनुसंधान के दौरान कौन-कौन सी कार्रवाई की गयी है।

(झ) महत्वपूर्ण कांडों के अनुसंधान का अनुश्रवण गम्भीरतापूर्वक करना चाहिए।

(हस्ताक्षर) 8/5/2002

महानिदेशक सह आरक्षी महानिरीक्षक,
बिहार, पटना।

(हस्ताक्षर) 8/5/2002

ज्ञापांक 2095 /पी-1 अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार,
4-9-22-02 पटना, दिनांक- 10/5/20

प्रतिलिपि:- (1) अपर महानिदेशक, अपराध अनुसंधान विभाग, बिहार, पटना को कृपया राज्य के सामिक अपराध समीक्षा उपरोक्त बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाय एवं सभी संबंधित को भेजा जाय ।

2. सभी क्षेत्रीय अपर महानिदेशक, (रेलवे सहित) क्षेत्रीय महानि... दरभंगा को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ ।

3. सभी क्षेत्रीय उप-महानिरीक्षक (रेलवे सहित) को सूचनार्थ एवं आ... क्रियार्थ/सभी आरक्षी अधीक्षक (रेलवे सहित) को सूचनार्थ एवं आ... क्रियार्थ ।

महानिदेशक सह आरक्षी महानि...
बिहार, पटना ।